उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(अपील संख्या एस–01/ए/1390/2025)

समक्ष : डा0 राजकुमार विश्वकर्मा, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

डा0 विशाल शर्मा,
तहसीलदार,
तहसील–सदर,
जनपद–मिर्जापुर।

कारण बताओ नोटिस

धारा	मांगी गई सूचना/अनुतोष
6(1)	प्रकरण – ग्राम–बबुरा के आराजी नम्बर 1012 रकबा 0.294 हे0 व आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.257 हे0 तथा आराजी नम्बर 1404 रकबा 0.125 हे0 जो अशोक कुमार सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर खाते की भूमि है तथा खतौनी में अशोक सिंह, मुन्ना सिंह, कृष्ण कुमार सिंह के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी बंटवारे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत अतिरिक्त उप–जिलाधिकारी, मीरजापुर के यहाँ वाद संख्या टी–202216530107209 अतुल सिंह बनाम अशोक कुमार सिंह उर्फ अंगद सिंह दाखिल किया गया है, जो विचारण में है।

प्रश्नगत वाद की आज सुनवाई में उभयपक्ष अनुपस्थित हैं।

दिनांक 03.11.2025 की सुनवाई में आप अनुपस्थित थे, जिस क्रम में आपको प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ आगामी सुनवाई तिथि पर सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

दिनांक 03.11.2025 को आयोग द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद आज दिनांक 15.01.2026 को आप सुनवाई में अनुपस्थित हैं, कि इससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन एवं आयोग के आदेश की अवहेलना की गयी है और क्यों न इस कारण आपके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के तहत रूपए 250/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया जाए, जिसकी अधिकतम सीमा रूपए 25,000/– तक हो सकती है। इस सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

अतः आपको अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी सुनवाई दिनांक 15.01.2026 को सूचनाओं व लिखित स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार जारी कारण बताओ नोटिस के साथ अपीलकर्ता के द्वितीय अपील की प्रति एवं आयोग के गत आदेश दिनांक 03.11.2025 की प्रति नोटिस के साथ संलग्न कर उभयपक्षों को प्रेषित की जाए।

11.12.2025

शैलेन्द्र

डॉ० राज कुमार विश्वकर्मा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
उ०प्र० सूचना आयोग
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील संख्या एस–01/ए/1390/2025

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एमपी सिंह	(1) उप जिलाधिकारी, सदर, मिर्जापुर। (2) तहसीलदार, सदर, मिर्जापुर।
समक्ष : डा0 राजकुमार विश्वकर्मा, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता अनुपस्थित हैं तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री अवधेश शर्मा, सहायक समीक्षा अधिकारी, कार्यालय गृह (पुलिस) अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ उपस्थित हैं।

धारा	प्रश्न
6(1)	यह दस्तावेज़ एक सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन है, जिसे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कथित निष्क्रियता और अनियमितताओं के संबंध में दायर किया गया है। सारांश (Summary) यह RTI आवेदन मिर्ज़ापुर के सदर तहसील से संबंधित एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ पाँच मुख्य बिंदुओं पर जानकारी मांगता है, खासकर एक कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन न होने के संबंध में। * ग्राम बबूरा के लेखपाल द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना, जिस पर कथित तौर पर 4-6 महीने बीत जाने के बाद भी सर्किल अधिकारी सिटी (विवेक जावला) ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। * शिकायत का केंद्र: शिकायतकर्ता ने इस मामले को मुख्य मंत्री कार्यालय तक पहुँचाया, लेकिन आरोप लगाया गया कि यह मामला जानबूझकर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर को नहीं भेजा गया, जबकि यह उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। * मांगी गई जानकारी (RTI के तहत): * जाँच अधिकारी द्वारा कोर्ट ऑर्डर लागू कराने के लिए उठाए गए कदम। * मामले को पुलिस कार्यप्रणाली से जोड़ने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम। * मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा मामले को SDM सदर को न भेजने का कारण। * सर्किल अधिकारी की "असंगत रिपोर्ट" स्वीकार करने वाले कर्मचारी का नाम/पदनाम।

Scanned with OKEN Scanner

आज सुनवाई में उपस्थित प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा आयोग के समक्ष अनुभाग अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी, गृह (पुलिस) अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ का लिखित अभिकथन दिनांक 31.10.2025 प्रस्तुत किया गया, जिसका आयोग द्वारा अवलोकन किया गया।

आयोग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षोपरान्त यह अभिमत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में उप–जिलाधिकारी, सदर, मिर्जापुर एवं तहसीलदार, सदर, मिर्जापुर को नोटिस प्रेषित की जाए।

आदेश

सूचना प्रदान किए जाने हेतु – उपरोक्त क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, मिर्जापुर एवं तहसीलदार, सदर, मिर्जापुर को संयुक्त रूप से निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलकर्ता को उसके आवेदन पत्र के अनुक्रम में व टेबल फॉम में (वांछित सूचना व उत्तर) सूचना उपलब्ध करायें तथा आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन मोड पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कृत कार्यवाही की आख्या सहित अपना लिखित अभिकथन आयोग को ई–मेल के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

पारित आदेश के साथ अपीलकर्ता के द्वितीय अपील की प्रति नोटिस के साथ संलग्न कर उपजिलाधिकारी, सदर, मिर्जापुर एवं तहसीलदार, सदर, मिर्जापुर को पृथक–पृथक नोटिस प्रेषित की जाए।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 11.12.2025 को पेश हों।

03.11.2025

सोनम

जानकारी का विवरण मांगा

Reference No. : 60000250091069, Date - 27 May 2025 Complaint Number:-60000250091069 Name of the applicant-Yogi M. P. Singh Subject-Most respected Sir, tehsildar Sadar submitted an arbitrary and inconsistent report in the following grievance which is reflecting jungle raj in the working of the tehsildar Sadar Mirzapur. Think about the gravity of the situation: an order has been passed by the Additional officer Sadar Mirzapur which compliance had to be made by the Lekhpal Babura Chhanvey Mirzapur and the Lekhpal is telling in his report about the serial number of the case. It Is obvious that public complaints section after Chief Minister Office endorsed the matter to the district magistrate Mirzapur for action in accordance with the law on 29th April 2025. District Magistrate submitted her report through the circle officer city Mirzapur which was accepted by the staff of the Chief Minister Office. Public information of officer in the office of Chief Minister Govt of Uttar Pradesh must provide the following information pointwise as follows. 1- Right to reason is an indispensable part of the sound administrative system. Please provide the name and designation of the staff of the government of Uttar Pradesh who reached on the conclusion that the matter concerns the working of the police. 2- In the grievance it has been categorically mentioned that the matter concerns the working of the sub divisional magistrates Sadar District Mirzapur. Public information officer in the office of Chief Minister government of Uttar Pradesh must provide the reason of not forwarding the matter to the sub divisional Magistrate Sadar as closely connected with his working. 3- It is obvious

that the order Plea to

Scanned with OKEN Scanner

that the matter concerns the noncompliance of the court order by the Lekhpal of the concerned Village Panchayat. Please provide the action taken by the investigation officer to ensure the compliance of the court order. 4- 6 months passed but the order passed by the court of additional sub divisional magistrate was not complied by the concerned Lekhpal of villager Babura, Post Babura, tehsil-Sadar, District Mirzapur. Vivek Jawla, Circle Officer City did not take the steps taken by him to curb this anarchy as an investigation officer in the matter. Please provide the name and designation of the staff belonging to the chief member office who accepted the arbitrary and inconsistent report of the circle officer in the matter. 5- Public information officer must provide the legible copy of the second and third page of the attached PDF document which are illegible. This attached PDF document has been uploaded by the district Magistrate on Jansunwai portal and accepted by the Chief Minister office. This is a humble request of the information seeker to the public information officer to provide 5-points information within stipulated 30 days as prescribed under subsection one of section 7 of the right to information act 2005.

6(1) में मांगी गयी सूचना

Brief Summary of Information Sought The information sought pertains to the handling of public grievance number 60000250091069, concerning the non-compliance of a court order by a Lekhpal in Mirzapur. The specific points are: 1. The name and designation of the official who concluded the grievance pertains to the police department. 2. The reason for not forwarding the grievance to the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Mirzapur. 3. Details of action taken by the investigating officer to ensure compliance with the court's order. 4. The name and designation of the official in the Chief Minister's Office who accepted the allegedly inconsistent report from the Circle Officer City. 5. A legible copy of pages two and three of the PDF document uploaded on the Jansunwai portal regarding the grievance.